



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग कि सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ .ग.)

ईको फ्रेंडली आउटडोर डिजिटल वॉल प्रिंटिंग एवं पेस्टिंग सहित कार्य हेतु दर निर्धारण एवं इम्पेनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें

क्रमांक	नियम एवं शर्तें
1	ईको फ्रेंडली आउटडोर डिजिटल वॉल प्रिंटिंग एवं पेस्टिंग के माध्यम से दीवारों पर कार्य करने में सक्षम एवं अनुभवी एजेन्सियों से आउटडोर डिजिटल वाल प्रिंटिंग कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।
2	एजेंसी के पास स्वयं के स्वामित्व में कम से कम 03 फीट साइज़ के साल्वेंट प्रिंटिंग मशीन या UV प्रिंटिंग मशीन उपलब्ध होना अनिवार्य है। मशीन का देयक निविदा में जमा करना अनिवार्य है।
3	ईको फ्रेंडली आउटडोर डिजिटल वॉल प्रिंटिंग एवं पेस्टिंग सहित कार्य हेतु Pattern- Digital wall painting media, Material- Non Plastic Material, Non Tearable, water proof and UV proof., Substance- Non PVC material, water bond, Content- Media Consist of water based coating and release liner, Basic Weight- 42 GSM Plus, Adherent/ Fixing- No Adhesive or gumming , Fixing Technology- Water based solution to melt in any kind of even or uneven surface का उपयोग किया जाना है।
4	ईको फ्रेंडली आउटडोर डिजिटल वॉल प्रिंटिंग एवं पेस्टिंग का कार्य उपयुक्त स्थान जो आसानी से दृश्य हो, में लगाया जाना होगा। ऐसे स्थान जहां आम जनता का आवागमन नहीं है अथवा आसानी से दिखाई नहीं देता, वहां पेस्टिंग करने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
5	एजेंसी को कम से कम एक वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। साक्ष्य हेतु कार्यानुभव/ कार्य संपादन , सत्यापन पत्र एवं फोटोग्राफ कि प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
6	किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2020-21 का कम से कम 25 लाख रुपए का टर्नओवर होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7	एजेन्सियों को छत्तीसगढ़ राज्य का पंजीकृत जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं Assessment Year 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर रिटर्न की प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगा।
8	ईको फ्रेंडली आउटडोर डिजिटल वाल प्रिंटिंग एवं पेस्टिंग के साथ अन्य सभी व्यय शामिल कर दर प्रस्तुत करना होगा। संवाद द्वारा संबंधित कार्य हेतु अलग से कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा। जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।
9	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1,180/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 1,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है:- Account Name : Chhattisgarh Samvad Bank Name : Axis Bank Ltd. Branch Name : Pandri, Raipur (C.G.) Saving Account No. : 139010100021669 IFSC Code No. : UTIB0000139



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग कि सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ .ग.)

10	निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर वाले एजेंसियों की पैनल बनायी जायेगी। न्यूनतम दर वाले एजेंसियो से न्यूनतम दर पर कार्य कराया जायेगा। यदि कार्य तात्कालिक प्रवृत्ति का हो तो आवश्यकता अनुसार न्यूनतम दर पर पैनल के अन्य एजेन्सी से कार्य कराया जा सकता है।
11	छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट http://samvad.cg.nic.in में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है। साथ ही ऑनलाईन जमा किये जाने वाले टेक्नीकल बिड के दस्तावेजों की प्रतियां एवं स्टाम्प पेपर में प्रमाण पत्र की मूल प्रति निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र . SF-10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा ।
12	ईको फ्रेंडली आउटडोर डिजिटल वॉल प्रिंटिंग एवं पेस्टिंग के निविदा का उद्देश्य न्यूनतम दर के निर्धारण एवं एजेन्सियों का पैनल तैयार करना है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दर पर कार्य आबंटन बेहतर लोकेशन के आधार पर किया जावेगा।
13	ईको फ्रेंडली आउटडोर डिजिटल वॉल प्रिंटिंग एवं पेस्टिंग करने वाले एजेन्सियो को निविदा के तकनीकी लिफाफा के साथ एजेन्सी द्वारा किये गये कार्य का CD एवं किये गये कार्य का उच्च गुणवत्ता के फोटोग्राफ्स एवं Video CD/DVD जमा करना पड़ेगा। निविदा के तकनीकी बिड में योग्य पाए गए निविदाकारों का ही फाईनेन्शियल बिड खोला जावेगा।
14	L1 दर वाली एजेन्सी को कार्य में प्राथमिकता दी जायेगी। L1 दर वाली एजेन्सी यदि स्वयं के दर पर कार्य करने से इंकार करने पर उक्त एजेन्सी को पैनल के बाहर किया जावेगा एवं 01 वर्ष के लिए कली सूची में डालने एवं अमानत राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
15	प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने पर किये गए वॉल प्रिंटिंग पेस्ट को तत्काल निकालते हुए इस कार्यालय को सूचित करना होगा ।
16	एजेन्सियों को देयक के साथ-साथ उनके द्वारा किये गये वॉल प्रिंटिंग पेस्टिंग का फोटोग्राफ्स स्थान एवं कोड नम्बर, GPS लोकेशन आदि का उल्लेख करते हुये संबंधित विभाग के अधिकारियों से सत्यापित करा कर प्रस्तुत करना होगा।
17	जिस दीवाल पर प्रिंटिंग किया जावेगा उसके लिये आवश्यक विधिवत प्रक्रिया एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी । दीवाल या स्थान संबंधित कोई भी विवाद के लिये छत्तीसगढ़ संवाद जिम्मेदार नहीं रहेगा। दीवाल तथा स्थान संबंधी वाद-विवाद हेतु प्रिंटिंग करने वाली एजेन्सी ही सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा। मकान मालिक से अनुमति फर्म को स्वयं लेनी होगी ।
18	समय-सीमा में कार्य नहीं होने पर एवं गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर प्रिंटिंग का परीक्षण में पाये जाने वाली कमी का आंकलन कर उसके अनुरूप देयक से राशि कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
19	दीवाल पर लगाई गई सामग्री को न्यूनतम एक माह तक सुरक्षित रखने कि जिम्मेदारी कार्य करने वाली संस्था की होगी ।



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग कि सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ .ग.)

20	संवाद द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजाइन में ही कार्य करना होगा तथा एजेंसी को स्वीकृत दर के अलावा(GST अतिरिक्त) से किसी भी प्रकार के अन्य खर्च व्यय देय नहीं होगा। अतः निविदा में समस्त व्यय, आदि जोड़कर दर का उल्लेख करें। कर अतिरिक्त देय होगा।
21	संबंधित निविदा दरें, अनुमोदन तिथि से दो वर्ष के लिए लागू होगी। विभाग से देयक भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित एजेंसियों के देयकों को भुगतान किया जायेगा। अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
22	आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
23	निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का तथा आवश्यकता अनुसार पैनल के एजेन्सी से कार्य कराने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
24	व्यवहार में किसी प्रकार की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।
25	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सूची में डाले गये मुद्रक निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में मुद्रक को निर्धारित प्रारूप में रू. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मुद्रक को कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया है।
26	एजेन्सी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त ईको फ्रेंडली आउटडोर डिजिटल वाल प्रिंटिंग एवं पेस्टिंग हेतु निविदा के सभी नियम एवं शर्तें मान्य है।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर**